निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1942 (श0)
(सं0 पटना 895) पटना, बुधवार, 18 नवम्बर 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

18 नवम्बर 2020

सं॰ एल0जी0-01-11/2020/6329/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 20 अक्तूबर 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी॰सी॰चौधरी,
सरकार के सचिव ।

(बिहार अधिनियम 17, 2020)

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को संशोधित करने हेतु अधिनियम

प्रस्तावना :– चूँकि वर्तमान में कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि राष्ट्रपति से इसे में प्रख्यापित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है :

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–(1) इस अधिनियम को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) अधिनियम 1970 में संशोधनः–

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के धारा–1 की उपधारा (4) निम्नरूपेण प्रतिस्थापित होगा।

(i) उपधारा (a) में शब्द "बीस" को शब्द "पचास" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उपधारा (b) में शब्द "बीस" को शब्द "पचास" से प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं धारा–1 की उपधारा (4) के परन्तुक में शब्द "बीस" को शब्द "पचास" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3.विधिमान्यकरणः– अधिनियम की इस धारा 1 की उपधारा 4 में संशोधन होते हुए भी, इसके पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 के प्रतिस्थापन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

4. निरसन एवं व्यावृतिः– **(i)** ठेका श्रम विनियमन एवं उत्सादन (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–06, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव ।

---

18 नवम्बर 2020

सं० एल0जी0-01-11/2020/6330/लेज—बिार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर 2020 को अनुमत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (बिहार संशोधन) अधिनियम 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

(BIHAR ACT 17, 2020)
THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION)
(BIHAR AMENDMENT) ACT, 2020

(An Act further to amend the contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1970)

Whereas, the Covid-19 pandemic has deteriorated the Industrial and Economic activities in the State of Bihar and for providing impetus to the Industrial and Economic activities in the State, it is important to provide new opportunities for Industrial investment in the State;

And whereas, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas, the instruction from the President is received to promulgate this Bill Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy First years of the Republic of India as follows.

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition)(Bihar Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extent to the whole of the State of Bihar.

2. It shall come into force at once.

2. ***AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970.-***—Sub-Section 4 of Section 1 of the the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 shall be amended as follows:-

(i) in clause (a), for the word "twenty", the word "fifty"shall be substituted, and

(ii) in clause (b), for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted and in the provisio of sub section-4 of section 1 of the Act, for the word "twenty", the word "fifty"shall be substituted.

3.*Validation.*—Notwithstanding amendment in sub section-4 of section 1 of the Act, anything done and decision and action taken prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be questioned on the ground of substitution of sub section-4 of section 1 of the Act.

4. ***Repeal and Savings.—***

(i) The Contract Labour (Regulation and Abolition) (Bihar Amendment) Ordinance, 2020. (Bihar Ordinance No-06- 2020 is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action takent in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the days on which such thing was done or action taken.

By Order of the Governor of Bihar,
P.C.Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 895-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in